

329



न्यायालय श्री मान, राजस्व नगरीय न्यायालय मध्य प्रदेश,

दि 992-II-16

एन.पी. प्रवर्तक-एड.
21-3-16

राजस्व नगरीय न्यायालय

1:- श्री मती रीना सिंह पत्नी श्री रमेश सिंह उम्र 59 वर्ष ।

2:- रमेश सिंह आठ श्री दशरथ सिंह उम्र 63 वर्ष ।

दोनों निवासी स्टार आठो मोबाइल मुख्तियारगंज सतना तहो रघुराज नगर
जिला सतना म० प्र०, --- निगराकार गण

बनाम

1:- राजेश्वर त्रिपाठी आठ श्री आर्या प्रसाद त्रिपाठी उम्र 61 वर्ष
निवासी कामता चिक्कूट तहो मन्गवां जिला सतना म० प्र०,

2:- संतोष कुमार त्रिपाठी आठ श्री रामभवन त्रिपाठी उम्र 46 वर्ष
निवासी आदर्श नगर स्पर्किंग सिला मोड़ के सामने सिरसावन चिक्कूट
तहो मन्गवां जिला सतना म० प्र०,

3:- सियादुलारी मिश्रा पत्नी स्व० श्री रामरूप मिश्रा उम्र 72 वर्ष
निवासी अहरी टोला छांद मोदाम के पीछे सिबिल लाइन सतना तहो
रघु जिला सतना म० प्र०,

4:- शासन म० प्र० द्वारा श्री मान, कलेक्टर महोदय सतना जिला
सतना म० प्र० ----- गैर निगराकार गण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म० प्र० कानून माल

निगरानी बिरुद्ध, आदेश दि० 25.1.016, पारित
न्यायालय श्री मान, अधीक्षक म० अभिलेख म० प्रबंधन
सतना जिला सतना म० प्र० प्र० क्र० 6A12/015-016,

श्री ए.एस. राय
अभिज्ञान
21/3/16

शांखा प्रवर्तक (रा.अ.)
कार्यालय न्यायालय, न्यायालय

29/3/16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- निगरानी-992-दो / 2016

जिला-सतना

श्रीमती रीना सिंह व अन्य विरुद्ध राजेश्वर त्रिपाठ आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
28-02-2019	<p>आवेदक की ओर से श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख, भू-प्रबंधन सतना, जिला-सतना के प्रकरण क्रमांक 06/अ-12/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25-01-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी, जिला-सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 25-4-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p align="right">(आर.के. जैन) सदस्य 28/2/2019</p>